पंचम राज्य वित्त आयोग के सफल एवं सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु संसाधनों की उपलब्धता संबंधी बिन्दुओं पर वित्त विभाग के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श हेतु अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2024 को आहूत द्वितीय बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–526/वि0आ0, दिनांक 23.02.2024 के द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।

(ii) वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति हो चुकी है एवं पदभार ग्रहण कर कार्य प्रारम्भ किया गया। कतिपय कर्मी की प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग द्वारा पत्रांक 38/वि0, दिनांक 01.03.2024 द्वारा की गई है। आयोग का कार्य मात्र संबंधित कर्मी से सुचारू रूप से संचालित करना सम्भव नहीं है।

(iii) वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 हेतु बजटीय उपबंध अद्यतन नहीं है। यह JCF (झारखण्ड आकस्मिता निधि) के माध्यम से वर्ष 2024–25 में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

(iv) वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य लोक सभा निर्वाचन 2024 के कारण आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी है।

(v) वित्त विभाग द्वारा यह भी सूचना दिया गया कि आयोग कार्यालय हेतु पदाधिकारी/कर्मी के पद भी सृजित नहीं है।

3. विमर्श के क्रम में राज्य वित्त आयोग के सुचारू रूप से संचालन एवं समयबद्ध तरीके से कार्य संचालन के मद्देनजर आज विभिन्न बिन्दुओं पर सार्थक एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु वित्त विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया।

4. (i) वर्तमान में विकास आयुक्त, प्रधान सचिव, योजना विभाग तथा योजना विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से अस्थाई रूप से संचालित कार्यालय कक्षों को पत्रांक 07/वि0आ0, दिनांक 13.03.2024 के क्रम में आवंटित कराना सुनिश्चित कराया जाय (छायाप्रति संलग्न)।

(ii) राजा रानी कोठी अवस्थित भवन जीर्ण शीर्ण हैं, उसके सामग्री का disposal एवं भवन के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाय। यह भवन आयोग कार्यालय हेतु पर्याप्त भी नही है।

(iii) किसी संस्थान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये आर्थिक संसाधन (Monetary resource) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य वित्त आयोग के कार्यालय संचालन हेतु पर्याप्त बजट उपबंध कराने का अनुरोध किया गया। सचिव, राज्य वित्त आयोग एक प्रस्ताव composite रूप में सभी आवश्यकता, सभी मद में विधिवत गणना कर प्रेषित शीघ्र करें। कतिपय नये मद आज विमर्श में स्पष्ट हुआ तथा कतिपय बिन्दु दिनांक 06.03.2024 की बैठक में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था। सभी को शामिल कर तुरन्त भेजा जाय।

(iv) राज्य वित्त आयोग के कार्यालय हेतु पद सृजित करने की प्रक्रिया/अन्य व्यवस्था पर वित्त विभाग विचार करना चाहेगा। कतिपय Research Associate (कम से कम 2) रखने पर कार्य हित में भी सहमति देना चाहेगा।

(v) स्थायी पदों के सृजन में समय लगने की सम्भावना के मद्देनजर तत्काल JAPIT या किसी अन्य रिप्युटेड एजेंसी से कम से कम दो कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवा आउटसोर्सिंग के आधार पर प्राप्त करने/उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है। सम्बन्धित Hindi/ English दोनो भाषा में कार्य करने मे दक्ष होना चाहिए।

(vi) अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्यालय सुचारू रूप से संचालन हेतु PPS/PS तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। सम्बन्धित Hindi/ English दोनो भाषा में कार्य करने मे दक्ष होना चाहिए।

(5) बजट उपबंध होने पर कतिपय उपकरण/साम्रगी के क्रय की आवश्यकता होगी। इस क्रम में आयोग के सचिव के स्तर पर उनकी अध्यक्षता में एक क्रय समिति गठित करने पर सहमति बनी। आयोग के सचिव को विभागाध्यक्ष/विभागीय सचिव के समतुल्य वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य हेतु प्रदान की जाय। वित्त विभाग आवश्यक आदेश तद्नुसार निर्गत करना चाहेगा।

(ii) आचार संहिता के क्रम में क्रय के बिन्दु पर सचिव, राज्य वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) से परामर्श कर संतुष्ट हो लें। समान्यतः ऐसे प्रस्ताव स्क्रीनिंग समिति जो मुख्य सचिव के स्तर पर होती है, उसके माध्यम से CEO को प्रेषित की जाती है। इस व्यवस्था एवं प्रक्रिया को वर्तमान के परिपेक्ष्य में देखा जाय तथा आयोग के सचिव तद्नुसार कारवाई करे।

(iii) वित्त विभाग के परिपत्रों के आलोक में GEM तथा स्थापित प्रकिया का पालन राज्य वित्त आयोग में अपनाया जाय। आयोग के सचिव तदनुरूप कारवाई करना चाहेंगे। ऐसे मामलो के किसी भी विवाद में वित्त विभाग का परामर्श/निर्णय अन्तिम होगा।

6. सदस्य का वेतनमान रू0 2,00,000/– + मंहगाई भत्ता है जो प्रधान सचिव के समतुल्य है। ऐसे में एक स्वतंत्र वाहन आवंटित/उपलब्ध कराने पर वित्त विभाग को अग्रेत्तर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार के परिपत्र के अनुसार सामान्यतः संयुक्त सचिव एवं ऊपर के पदाधिकारी को ऐसी वाहन सुविधा प्रदान की जाती है। संकल्प में मात्र एक वाहन अध्यक्ष के लिये एवं एक अन्य वाहन कॉमन पूल में रखे जाने का प्रावधान है जो मात्र कार्यालय कार्य के लिए ही उपयोगी होगा। ऐसे में सदस्य, राज्य वित्त आयोग, जिनका वेतनादि प्रधान सचिव के समतुल्य है, को भी एक स्वतंत्र वाहन आवंटित/उपलब्ध कराने पर वित्त विभाग को अग्रेत्तर कार्रवाई करना चाहिये।

7. सदस्य की payslip हेतु प्रधान महालेखाकार को पत्र प्रेषण तथा वेतन संबंधित सभी विषयों का शीघ्र समाधान किया जाय। वित्त विभाग आवश्यक document सदस्य से प्राप्त कर शीघ्र कार्रवाई करना चाहेगा।

8. राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का रैंक (equivalence) तय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया ताकि राज्य के बाहर यात्रा इत्यादि करने में protocol की कोई समस्या उत्पन्न न हो।

9. सचिव, राज्य वित्त आयोग, अध्यक्ष तथा सदस्य को देय सभी सुविधायें कार्यालीय/आवासीय एवं अन्य इत्यादि पर दो अलग अलग संचिका में प्रस्ताव भेजकर वित्त विभाग से स्थिति स्पष्ट करा लें।

10. राज्य के अन्दर/बाहर यात्रा पर वाहन (Vehicle Hire), बैठक एवं आवासन इत्यादि पर भी स्थिति स्पष्ट करा लिया जाय।

11. राज्य वित्त आयोग के मुद्रण का कार्य सामान्यतः वित्त विभाग के अधीन सरकारी प्रेस के माध्यम से ही किया जाय।

12. भविष्य में नियमित एक मासिक बैठक आयोजित की जाय जब तक सभी issue resolve न हो जाय।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

20.03.2024	20.3.24	20.03.2024	20/03/2024
(अविनाश कुमार सिंह) विशेष कार्य पदाधिकारी वित्त विभाग के प्रतिनिधि	(नितीश कुमार सिंह) सदस्य सचिव राज्य वित्त आयोग	(हरीश्वर दयाल) सदस्य राज्य वित्त आयोग	(अमरेन्द्र प्रताप सिंह) अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग

झारखण्ड सरकार
राज्य वित्त आयोग

ज्ञापांक – वित्त (SFC) (कार्यवाही) – 02/24...19../वि0आ0 राँची, दिनांक 01/04/2024

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची/सभी सदस्य, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची/श्री अविनाश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कौशल 20-03-24

(कौशल किशोर झा)
उप सचिव
राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड।